74

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1919–दो/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 5–3–14 – पारित व्दारा – नायव तहसीलदार सिंगरोली जिला सिंगरोली – प्रकरण क्रमांक 26 अ–74/13–14

सुरेश चन्द्र पुत्र काश्मीरी लाल अग्रवाल
ग्राम गडेरिया तहसील व जिला सिंगरोली ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 08 – 03 –2018 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार सिंगरोली जिला सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 26 अ–74/13–14 में पारित आदेश दिनांक 5–3–14 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण क्रमांक 6 अ–74/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 3–10–13 के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में आवेदक एंव अन्य तीन ने निगरानी प्रस्तुत की। सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 732– दो /2014 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3–3–14 से

कलेक्टर जिला सिंगरोली के आदेश दिनांक 3-10-13 पर स्थगन प्रदान किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 3-6-14 से स्थगन आदेश दिनांक को आगामी तीन माह की अवधि तक बढ़ाया। आवेदक ने नायव तहसीलदार सिंगरोली के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 3-3-14 का पालन करने का आग्रह किया, जिस पर से नायव तहसीलदार सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 26 अ-74/13-14 में पारित आदेश दिनांक 5-3-14 निर्णय लिया कि कलेक्टर सिंगरोली के आदेश दिनांक 3-10-13 का क्रियान्वयन हो जाने से आवेदक के आवेदन का औचित्य नहीं है इसलिये निरस्त किया जाता है। नायव तहसीलदार सिंगरोली के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित धारा 32 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत नायव तहसीलदार वृत खुदार तहसील सिंगरोली के समक्ष आवेदन दिया था कि कलेक्टर सिंगरोनी ने आदेश दिनांक 3-10-13 से आवेदकगण के बजाय भूमि म0प्र0शासन की दर्ज करने का आदेश दिया है जिस पर राजस्व मण्डल ने स्थगन दिया है जिसके आधार पर कलेक्टर के रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश के अमल को हटाया जावे, किन्तु नायव तहसीलदार ने राजस्व मण्डल के आदेशों की अवहेलना करके धारा 32 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 के आवेदन को निरस्त करने में भूल की है। आवेदक के अभिभाषक ने राजस्व मण्डल के आदेश का पालन कराने एंव कलेक्टर के रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश के अमल को हटवाये जाने का आग्रह किया।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि एकवार अभिलेख में कलेक्टर के आदेशानुसार मध्य प्रदेश शासन के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है वार-वार अभिलेख नहीं काटा जा सकता , इसलिये नायव तहसीलदार का आदेश सही है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि कलेक्टर के आदेश दिनांक 3-10-13 से वाद विचारित भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज की जा चुकी है जिसके विरूद्व आवेदक ने राजस्व मण्डल में अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन सहित बेरूम्याद निगरानी प्रस्तुत की है इसी दरम्यान वाद विचारित भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज हुई, तब क्या राजस्व मण्डल के यथास्थिति आदेश पर बार-बार अभिलेख में काटपीट करना उचित है ? जब आवेदक की ओर से यह तथ्य बताया जा रहा है कलेक्टर के आदेश दिनांक 3-10-13 के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी क्रमांक 732-एक/14 प्रचलित है और इस निगरानी प्रकरण में यदि आवेदक के पक्ष में निर्णय होता है तदाशय का अभिलेख में अमल किया जावेगा, जिसके कारण वार-वार राजस्व अभिलेख में काटपीट करना नायव तहसीलदार ने उचित नहीं समझा है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी वास्तविक के विपरीत प्रतीत होने से अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर